निरीक्षक प्रेम चंद

बनाम

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार एवं अन्य

5 अप्रैल, 2007

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानूनः

अनुशासनात्मक कार्यवाही-कदाचार-मलेरिया निरीक्षक द्वारा रिश्वत की मांग के आरोप-छापा मारा गया-फेनॉल्फथेलिन पाउडर लगाया गया। रिश्वत राशि पर निरीक्षक ने सीधे दागी पैसे लेने से इनकार कर दिया-उसे आपराधिक अदालत ने बरी कर दिया-अपीलार्थी छापामार अधिकारी के विरूद्घ प्रकरण सामग्री के रूप में दागी राशि को जब्त नहीं करने के लिए पुलिस नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही-उन्हें कदाचार और लापरवाही का दोषी ठहराया गया था-एक साल की स्वीकृत सेवा को जब्त करने की सजा आरोपित की गयी/न्यायहित औचित्य नहीं। अपीलार्थी किसी भी जानबूझकर गैरकानूनी व्यवहार का दोषी नहीं था। सेवा कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में-उनकी ओर से चूक का कार्य केवल निर्णय की त्रुटि थी-निर्णय की त्रुटि अपने आप में एक कदाचार नहीं है लापरवाही भी कदाचार नहीं होगी-दिल्ली पुलिस (दंड और अपील), नियम, 1980।

नगरपालिका के एक मलेरिया निरीक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी कि वह अवैध रूप से 3,000/- रुपये की मांग कर रहा था। भ्रष्टाचार-रोधी शाखा में छापा अधिकारी के रूप में तैनात अपीलार्थी ने छापा मारने वाले दल का गठन किया। शिकायतकर्ता ने 500/-रूपये के रूप में राशि 3000/- पेश की जिससे प्रत्येक नोट पर फेनोल्फथेलिन पाउडर लगाया गया था, लेकिन जब उन्होंने उक्त निरीक्षक को राशि का भुगतान करने का प्रयास किया, तो उन्होंने इसे सीधे स्वीकार नहीं किया। उक्त निरीक्षक के विरूद्घ संस्थित आपराधिक कार्यवाही में अदालत ने दोषमुक्ति का फैसला किया। उक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी के विरूद्घ विभागीय कार्यवाही दागी धन को प्रकरण सम्पत्ति के रूप में जब्त नहीं कर आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार एवं घोर लापरवाही के लिए विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी। उन्हें उक्त आरोपों का दोषी ठहराया गया और एक वर्ष की स्वीकृत सेवा को जब्त करने की सजा आरोपित की गयी।

अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि उसे कोई दुराचार करने वाला नहीं कहा जा सकता है। अतः उस पर लगाई गई सजा अनुचित थी।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया।

1. अपीलार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही दिल्ली पुलिस (सजा और अपील) नियमों 1980 के प्रावधानों के संदर्भ में शुरू की गई

थी। इसलिए, अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक था कि वह इस तथ्य का निष्कर्ष कि अपीलार्थी सेवा कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में स्वेच्छा अविधिक व्यवहार का दोषी था। ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। निर्णय की त्रुटि स्वयं में कोई दुराचार नहीं है, मात्र लापरवाही भी कदाचार नहीं होगा। [पैरा 12] [974-डी-ई]

पंजाब राज्य और अन्य बनाम वी. राम सिंह पूर्व, सिपाही, [1992] 4 एससीसी 54 ; भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड वी. टी. के. राजू, [2006] 3 एस. सी. सी. 143 और भारत सरकार और अन्य बनाम जे. अहमद, [1979] 2 एस. सी. सी. 286, संदर्भित।

पी. रामनाथ अय्यर का लॉ लेक्सिकन, तीसरा संस्करण, पृष्ठ 3027 पर संदर्भित है।

2. न्यायाधिकरण ने राय दी कि की अपीलार्थी का लोप कृत्य केवल निर्णय की त्रुटि नहीं थी। उक्त राय किस आधार पर आई थी, यह स्पष्ट नहीं है। अपीलीय प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी को एक छापा मारने वाला अधिकारी होने के नाते दागी धन को मामले की संपत्ति के रूप में जब्त कर लेना चाहिए था। किसी मामले में, क्या किया जाना चाहिए था, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके लिए कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। [पैरा 13] [975-बी-सी]

3. आपराधिक न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई । पीडब्लू-4 के रूप में परीक्षित साक्षी अनुसंधान अधिकारी के विरूद्घ प्रतिकूल टिप्पणियां की गयी जिन्होंने पीडब्लू-2 के रूप में परीक्षित साक्षी शिकायतकर्ता को दागी राशि लौटा दी थी। इस तथ्य का पता चला कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से किसी भी राशि की मांग नहीं की थी और इस प्रकार उसके खिलाफ कोई मामला बनना नहीं पाया गया है। [पैरा 14 और 15] [975-डी-ई]

ज़ुंजाराव भीकाजी नागरकर बनाम। भारत संघ और अन्य, [1999] 7 एससीसी 409, संदर्भित किया गया।

4. इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी ने कोई दुराचार किया है। [पैरा 16] [975-जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2007 की सिविल अपील सं. 1815

2006 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 6046 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 21.04.2006 से

एस. एस. खांडुजा, मधु कपूर, ए. के. चावला और यश पाल ढींगरा, अपीलार्थी की ओर से।

ए. शरण, ए. एस. जी. , डी. एस. माहरा और सुनीता शर्मा, उतरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय दिया गया-

एस. बी. सिन्हा, जे.

1. अनुमति प्रदान की गयी।

2. अपीलार्थी प्रत्येक तात्विक समय पर उपस्थित था और अभी भी दिल्ली पुलिस के साथ काम कर रहा है। उन्हें 1997 में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में तैनात किया गया था। उक्त शाखा में तैनात रहते हुए, उन्हें एक रेड अधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया था। कथित तौर पर शिकायतकर्ता दिल्ली के लाजवंती गार्डन निवासी कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र प्रभु दयाल गुप्ता ने दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार रोधी शाखा में शिकायत दर्ज कराई कि एम. सी. डी. के निरीक्षक (मलेरिया) के रूप में प्रीत पाल बंसल उसके गोदाम का चालान नहीं करने हेतु 3,000 रुपये की राशि की मांग कर रहे थे।

शिकायतकर्ता प्रीत पाल बंसल के विरूद्घ छापा कार्यवाही चाहता था। अपीलार्थी द्वारा छापा मार दल का गठन किया गया जिसमें कि कमलेश गुप्ता पीडब्लू- 2, देवेन्द्र पीडब्लू-4 एवं अन्य पुलिस अधिकारी शामिल थे। उक्त कार्यवाही की तैयारी में शिकायतकर्ता ने 500/- 500/- रूपये की कुल राशि 3000/- पेश की गयी जिस पर फेनोल्फथेलिन पाउडर लगाया गया और दागी राशि शिकायतकर्ता को सौंप दी गई। जब शिकायतकर्ता ने श्री

प्रीत पाल सिंह को उनके गोदाम में उक्त राशि का भुगतान करने का प्रयास किया, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए दागी धन को जब्त नहीं किया गया। उनके द्वारा कथित रूप से यह कहा गया था कि शिकायतकर्ता इसे किसी देवेंद्र (पीडब्लू-4) को दे सकता है और वह बदले में उससे पैसे स्वीकार करेगा। इसके बाद, पीडब्लू-4 स्कूटर के पीछे बैठे और वे दिल्ली के मॉल रोड स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे। उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

3. हालाँकि,जाँच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को उक्त राशि वापस कर दी गयी। प्रीत पाल बंसल के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में, आपराधिक अदालत ने दोषमुक्ति का फैसला दिया।

> " ..... दागी धन की वापसी के स्थान के संबंध में ये विसंगतियां शिकायतकर्ता को यह अटकलें लगाई जाती हैं कि क्या पैसा वापस कर दिया गया था। पीडब्लू-4 द्वारा पीडब्लू-2 को या जैसा दावा किया गया था वैसा ही उसे सौंप दिया गया था।इस प्रकार गोदाम में, और पीडब्ल्यू-4 से पीडब्लू-2 को धनराशि लौटाये जाने के स्थान में बातचीत के विभिन्न दौर के साथ ही रिश्वत राशि के लिए पूर्व में की गई मांग के संबंध में तथा पेट्रोल पंप पर अभियुक्त द्वारा पीडब्ल्यू-4 से धन की मांग के बारे में परिवादी पीडब्ल्यू-2

के बयानों की आवश्यक संपुष्टि के बिना यह तथ्य कि अभियुक्त ने पीडब्ल्यू-2 या पीडब्ल्यू-4 से रिश्वत राशि स्वीकार नहीं की तथा अभियुक्त ने पूर्व में 2-3 अवसरों पर परिवादी का चालान किया हुआ था, पीडब्ल्यू-2, पीडब्ल्यू- 4 तथा पीडब्ल्यू-5 के बयानों की सत्यता पर संदेह पैदा करता है तथा अभियोजन के इस दावे पर भी संदेह पैदा करता है कि अभियुक्त ने कभी भी परिवादी से रिश्वत राशि की मांग की हो। इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त ने पूर्व में दो तीन अवसरों पर परिवादी का उसके गोदाम के संबंध में चालान किया हुआ था, जो कि एक निर्विवादित तथ्य है, जिस कारण से परिवादी अभियुक्त से द्वेष रखता हो। मेरी राय में पीडब्ल्यू-2 व पीडब्ल्यू-4 के बयानों को स्वीकार कर उन पर निर्भर करना समीचीन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यह भी संभव है कि विभागीय जांच के भय से पीडब्ल्यू-4 अभिसाक्ष्य देते समय मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो।"

4. यद्यपि, उक्त आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी के विरूद्घ विभागीय कार्यवाही दिनांक 19.02.2002 के आसपास शुरू की गई थी जिसमें निम्नलिखित आरोप लगाए गए थेः

"यह आरोप लगाया जाता है कि आप निरीक्षक प्रेम चंद, नंबर-डी-आई/413, को जब आप ए.सी. शाखा में तैनात थे, तो श्री कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रभुदयाल गुप्ता निवासी डब्ल्यूजेड-71 बी, गली नंबर 7, लाजवंती गार्डन, दिल्ली की शिकायत पर दिनांक 10.10.97 पर छापा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। शिकायतकर्ता, पंच गवाह श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. सुखबीर सिंह, एलडीसी ई-III, शिक्षा विभाग, औल्ड सेक्टर, दिल्ली की उपस्थिति में रिश्वत की राशि ए.सी.शाखा में लाया, उक्त नोटों पर फिनोलफथेलिन पाउडर लगाया गया था। आप निरीक्षक प्रेम चंद, नंबर डी-1/413 ने श्री प्रीत पाल बंसल, निरीक्षक मलेरिया, सी. एल. जेड., एम. सी. डी. को राशि 3000/- रिश्वत के रूप में माँग के लिए उन पर छापा मारा। श्री प्रीत पाल बंसल, निरीक्षक मलेरिया, सी. एल. जेड., एम. सी. डी. के खिलाफ केस एफआईआर नं.40 दिनांकित 10.10.97 यू/एस 7/13 पीऔसी अधिनियम, पी. एस. ए. सी. शाखा ने मामला दर्ज किया। यद्यपि दागी धन अभियुक्त प्रीत पाल बंसल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। फिर भी उक्त राशि साक्ष्य में महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी आप छापेमारी

अधिकारी द्वारा अभियुक्त से जब्त नहीं किया गया। उपरोक्त मामले में माननीय न्यायालय श्री एस. एस. बाल, एस. पी. न्यायाधीश, तीस हजारी, दिल्ली द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया।

आपका उक्त कृत्य घोर दुराचार उपेक्षा एवं शासकीय कर्तव्य निर्वहन के प्रति उदासीनता का द्योतक है जो कि आपको दिल्ली पुलिस (सजा और अपील) नियम, 1980 के तहत विभागीय कार्यवाही का उत्तरदायी बनाता है।"

5. उन्हें उक्त आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया था। अपीलार्थी को दूसरा कारण बताऔ नाेटिस जारी किया गया, जिसमें उसके द्वारा कारण दिखाया गया था। आदेश दिनांक 28.03.2005 द्वारा अपीलार्थी पर एक वर्ष की अनुमोदित सेवा को जब्त करने का दंड लगाया गया था। उन्होंने इसके खिलाफ एक अपील पेश की। अपीलीय प्राधिकारी पुलिस आयुक्त द्वारा अपीलार्थी की अपील को खारिज करते हुए कहा गया किः

"मैंने अपील, डी. ई. पत्रावली और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच की है। विभागीय कार्यवाही के दौरान ई.औ. द्वारा सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था। अपीलार्थी को प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक अवसर प्रदान किया गया था तथा उसके द्वारा इस अवसर का समुचित उपयोग

किया गया था। ई.औ. ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करते समय अपीलार्थी के विरूद्घ लगाये गये आरोप को साबित कर दिया था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा डी.ई. पत्रावली अवलोकन पश्चात एवं मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं तर्को के आधार पर सकारण दण्डादेश पारित किया गया था, जो कि तर्कपूर्ण आदेश है। एक छापामार अधिकारी होने के नाते अपीलार्थी को मामले की सम्पति के रूप में दागी धनराशि को जब्त करना चाहिए था, लेकिन वह साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण अंश अभिलेख पर लाने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। हालांकि निचली अदालत ने फैसला सुनाते समय अपीलार्थी के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की थी, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलार्थी कानून के अनुसार अपने आधकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है, जो अपीलार्थी की और से गंभीर कदाचार है। इसलिए, उसे दी गयी सजा उचित है और उसके द्वारा किए गए कदाचार की गंभीरता के अनुरूप है। ई.औ. द्वारा कोई भी गडबडी नहीं की गयी या अनुशासनात्मक प्राधिकारी

द्वारा अपीलार्थी की किसी भी दलील में कोई दम नहीं है, इसलिए, अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।"

6. केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, मुख्य पीठ, दिल्ली के द्वारा अपीलार्थी द्वारा उक्त दण्डादेश की वैधता को प्रश्नगत करते हुए प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र एवं अपीलीय आदेश के निर्णय को दिनांक 15.2.2005 द्वारा खारिज कर दिया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अपीलार्थी द्वारा इसके विरुद्ध दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया हैः

"..... हमने यह भी नोट किया है कि ऐसे मामले में, यदि अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाये कि अभियुक्त द्वारा रिश्वत की राशि स्वकार नहीं किया जाना राशि जब्त नहीं करने का कारण था तो अभियुक्त के विरूद्घ अभियोग संस्थित किये जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। उक्त के परिणामस्वरूप अभियुक्त दोषमुक्त किया गया। प्राधिकरण द्वारा दिए गए तर्क में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि यदि यह मान भी लिया जाये कि प्रार्थी राशि जब्त करने में असफल रहा तो भी उक्त

कृत्य दुराचार की श्रेणी में नहीं आता। प्राधिकरण द्वारा शब्द दुराचार की विभिन्न परिभाषाएं विश्लेषित की गयी है। हम प्राधिकरण के निष्कर्ष से सहमत हैं और यह भी है कि दुराचार केवल किसी सकारात्मक कार्य ही नहीं वरन लोक सेवक द्वारा कर्तव्य लोप पर भी आरोपित हो सकता है।"

7. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता के तर्क कि इस प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी द्वारा दुराचरण कारित किया गया नहीं कहा जा सकता।

8. श्री ए. शरण, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रत्यर्थी की और से उपस्थित हुए,दूसरी ओर आक्षेपित निर्णय का समर्थन।

9. मामले में आलिप्त प्रश्न पर ध्यान देने से पहले, हम ''दुराचार''शब्द का अर्थ देख सकते हैं।

10. पंजाब राज्य और अन्य बनाम राम सिंह पूर्व कांस्टेबल, [1992] 4 एससीसी 54, में यह कहा गया था:

"कदाचार को ब्लैक लॉ डिक्शनरी, छठे संस्करण के पृष्ठ 999 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है: 'कार्य के किसी स्थापित और निश्चित नियम का उल्लंघन, निषिद्ध कार्य, कर्तव्य से विमुखता, स्वेच्छा गैरकानूनी व्यवहार, अनुचित

या गलत व्यवहार के पर्यायवाची दुराचार, गलत कार्य, दुर्व्यवहार, अपराध, अनुचितता, कुप्रबंधन, अपराध हैं, परन्तु लापरवाही नहीं।'

कार्यालय में दुर्व्यवहार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

''एक लोक अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के कर्तव्यों के संबंध में कोई भी स्वैच्छिक गैरकानूनी व्यवहार। इस शब्द में ऐसे कार्य शामिल हैं जिन्हें करने का अधिकारी को कोई अधिकार नहीं था और अनुचित तरीके से किए गए कार्य, किसी सकारात्मक कर्तव्य को करने में असफल रहा।"

11. पी. रामनाथ अय्यर के लॉ लेक्सिकन के तीसरे संस्करण में, पृष्ठ 3027 पर, 'दुराचार' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

"'दुराचार' शब्द का अर्थ है, दुराशय, न कि एक केवल निर्णय की त्रुटि।दुराचार एवं नैतिक अधमता एक ही बात नहीं है। 'दुराचार' शब्द एक सापेक्ष शब्द है, जिसका अर्थ अधिनियम या कानून के दायरे को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए। कदाचार का शाब्दिक अर्थ है गलत आचरण या अनुचित आचरण।"

[भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम टी.के. राजू, [2006] 3 एससीसी 143 को भी देखें।]

भारत सरकार और अन्य बनाम जे. अहमद, [1979] 2 एस. सी. सी. 286, जिस पर श्री शरण ने खुद भरोसा जताया है, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि, "यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी के खिलाफ दिल्ली पुलिस (दंड और अपील) नियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। इसलिए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक था कि अपीलार्थी सेवा में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में स्वेच्छा गैरकानूनी व्यवहार का दोषी था, ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला। निर्णय की त्रुटि अपने आप में कोई कदाचार नहीं है। सरलता से की गई लापरवाही भी कदाचार नहीं होगी।"

आचरण नियमों में निर्धारित आचार संहिता स्पष्ट रूप से सेवा के सदस्य से अपेक्षित आचरण को इंगित करती है कि आचरण नियमों के संदर्भ में जो आचरण सरकारी कर्मचारी के लिए दोषी है वह कदाचार होगा। यदि कोई सेवक का आचरण सेवा में अपने कर्तव्य के उचित और वफादार निर्वहन के साथ असंगत है तो यह कदाचार है (देखें पियर्स बनाम फोस्टर, 17 क्यू.बी. 536, 542)। सेवा के अनुबंध की एक आवश्यक शर्त की अवहेलना कदाचार हो सकती है [देखें कानून वी. लंदन क्रॉनिकल (संकेतक

समाचार पत्र, (1959) 1 डब्लूएलआर 698। यह दृष्टिकोण शारदाप्रसाद ओंकारप्रसाद तिवारी बनाम मंडल अधीक्षक, मध्य रेलवे, नागपुर मंडल, नागपुर, (61 बॉम एलआर 1596), और सतुभा के. वाघेला बनाम मूसा में अपनाया गया था। रज़ा (10 गुजरात एलआर 23)। उच्च न्यायालय ने स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश में कदाचार की परिभाषा को नोट किया है जो निम्नानुसार है:

स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश में दुराचार की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, जो निम्नानुसार हैः

> ''दुराचार का अर्थ है, दुराशय से उत्पन्न होने वाला दुराचार, लापरवाही, निर्णय की त्रुटियाँ, या निर्दोष गलती, दुराचार का गठन नहीं करते हैं।"

13. न्यायाधिकरण ने राय दी कि अपीलार्थी की ओर से चूक का कार्य केवल निर्णय की त्रुटि नहीं थी। उक्त राय किस आधार पर निकाली गई यह स्पष्ट नहीं है। हमने यहां पहले देखा है कि अपीलीय प्राधिकारी, अर्थात्, पुलिस आयुक्त, दिल्ली ने दिनांक 29.8.2003 को आदेश पारित करते समय स्पष्ट रूप से माना था कि अपीलार्थी को एक छापेमारी अधिकारी होने के नाते मामले की संपत्ति के रूप में दागी धन को जब्त करना चाहिए था। किसी दिए गए मामले में, क्या किया जाना चाहिए था,

यह एक ऐसा मामला है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता।

14. आपराधिक न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की। पीडब्लू-4 के रूप में परीक्षित जांच अधिकारी के खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां पारित की गई, क्योंकि उन्होंने शिकायतकर्ता पीडब्लू-2 को दागी धन सौंप दिया था।

15. इस तथ्य का निष्कर्ष निकाला गया कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से किसी भी राशि की मांग नहीं की थी और इस प्रकार उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है। ज़ुंजरराव भीकाजी नागरकर बनाम भारत संघ और अन्य, [1999] 7 एससीसी 409 में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है:

> "किसी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की शुरुआत अस्पष्ट या अनिश्चित जानकारी पर नहीं हो सकती है। ऐसे मामले में संदेह की कोई भूमिका नहीं होती है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उचित आधार मौजूद होना चाहिए। केवल इसलिए कि जुर्माना नहीं लगाया गया था और बोर्ड ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण में उस आदेश के विरूद्घ अपील दायर करने

का निर्देश दिया, अपीलार्थी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। यह दिखाने के लिए कोई अन्य उदाहरण नहीं है कि इसी तरह के मामले में अपीलार्थी पर निश्चित रूप से जुर्माना लगाया था।"

16. इसलिए, हमारी राय है कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कोई कदाचार किया है।

17. इसलिए, हमारी राय में,विवादित निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता, तदनुसार इसे रद्द किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। कोई शुल्क नहीं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रचना बिस्सा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।